न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान – सरकार बनाम चम्पालाल

मुकदमा न. 06/19/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

26.02.2019	पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी चम्पालाल पुत्र पेमाराम शर्मा निवासी नेवरी तहसील पचपधरा जिला बाड़मेर मैसर्स– जोधपुर मिष्ठान भण्डार जीणमाताजी बस स्टेण्ड दांता दांतारामगढ़ जिला सीकर उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नम्बर एफ–1212 वस्तु कलाकंद का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण Substandard Food का पाया गया है। विक्रेता द्वारा कलाकंद का विक्रय करके खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया, परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बताते हुये कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। अप्रार्थी के कारोबार को मध्य नजर रखते हुये खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी चम्पालाल के 25,000/– रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय सुनाया गया । 26/2/19

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official